फैक्स/आवश्यक

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ 5(1) स.आ./चारा./09/ 3955-3981 जयपुर,दिनांक: 21.3.2009

वास्ते,

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बाडमेर,बीकानेर, भीलवाडा,
डूंगरपुर, जैसलमेर,जालोर, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द एवं सिरोही।

विषय :— अभाव संवत 2065 में अभावग्रस्त गांवों में पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निम्नानुसार अभावग्रस्त गांवों में जिलों के सम्मुख अंकित पशु संख्या हेतु अनुदानित दर पर पशु आहार दिनांक 15 मार्च,09 से उपलब्ध कराये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम जिला	मार्च,09	अप्रेल, 09	मई,09	जून,09
1	अजमेर	50,000	50,000	50,000	50,000
2.	बाड़मेर	30,000	40,000	50,000	50,000
3.	बीकानेर	23,660	23,660	23,660	23,660
4.	भीलवाडा	2,13,385	2,13,385	2,13,385	2,13,385
5.	डूंगरपुर	30000	30000	30000	30000
6.	जैसलमेर	30761	30761	30761	30761
7.	जालौर	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
8	जोधपुर	मांग नहीं	200	200	200
9.	नागौर	जिले द्वारा कोई मांग नहीं है।			
10.	पाली	4451	4451	4451	4451
11.	राजसमंद	38,443	38,443	38,443	38,443
12.	सिरोही	99,585	99,585	99,585	99,585
	योग:	7,20,285	7,30,485	7,40,485	7,40,485

पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के संबंध में कृपया निम्नानुसार निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जाए :—

1. पशु आहार अनुदान अनुसूचित जाति, जनजाति, सीमान्त एवं लघु कृषकों के पशुओं को प्राथमिकता पर स्वीकृत किया जावे, इसके उपरान्त सामान्य श्रेणी के पशुपालकों के पशुओं को स्वीकृति दी जावे। क्योंकि उक्त योजना का लाभ विशेष रूप से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ ही प्राप्त करने में सफल रहती है।

2. उक्त श्रेणी के सभी पशुपालकों के पास उपलब्ध तीन पशुओं की मांग में से एक पशु को तथा इससे अधिक पशु होने की सिथति में दो पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी जावे।

3. अनुदानित दर पर पशु आहार का वितरण पंचायत राज संस्थाओं/ सहकारी संस्थाओं/ ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जावे।

4. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि पशु आहार अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/ राजफैड द्वारा निर्मित पशु आहार ही उपलब्ध कराया जावे।

5. पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध करायेजाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि उस पशुपालक के पशु उस क्षेत्र में संचालित पशु शिविर के माधंम से तो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं अर्थात पशु पालक के पशु को एक ही योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जावे।

6. अनुदानित दर पर पशु आहार अनुदान 4/– रूपये प्रति किलो की दर से अधिकतम 2 किलो आहार प्रति पशु प्रतिदिन की दर से देय होगा अर्थात 8/– रूपये की राशि अनुदान स्वरूप प्रतिपशु प्रतिदिन की दर से देय होगा। संबंधित जिला कलेक्टर्स जिले की पशु आहार की आवश्यकता की मांग आर.सी.डी.एफ./राजफैड को मांग प्रेषित करेंगे तथा पशु आहार की आपूर्ति आर.सी.डी.एफ./राजफैड द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

7. जिला कलक्टर समय समय पर पशु आहार की जॉच करायेगें और सुनिश्चित करेगे कि अच्छी किस्म का पशु आहार ही पशुपालको को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रतिमाह सरकार को इस संबध में सूचना देगे।

8. पशु पालको को उनके पशुओ के लिए पशु आहार उपलब्ध कराने हेतु जिला कलक्टर के निर्देशन में तहसीलदार कार्ड जारी करेगें। पशु आहार उन्ही कार्डस पर दिया जाएगा।

9. पशु आहार वितरण करने वाली संस्था द्वारा अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वितरित किए गए पशु आहार का बिल संबंधित जिला कलक्टर को पेश किया जायेगा, जिला कलक्टर स्वय की संतुष्टि के पश्चात् संस्था को अनुदान का भुगतान करेंगे।

10. पशु आहार वितरण लेखों की जांच व ऑडिट महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा अथवा सहायता विभाग की ऑडिट पार्टी द्वारा किया जा सकेगा ।

11. उपरोक्त कार्यवाही की समीक्षा जिला स्तरीय, उप खण्ड स्तरीय अकाल राहत समीक्षा समितियों की बैठक में की जाएगी । इस योजना का समुचित प्रचार भी किया जावे।

उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त विस्तृत निर्देश आपको प्रेषित आपदा प्रबन्धन एवं सहायता निर्देशिका व सूखा प्रबन्धन संहिता में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालन सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,

उप शासन सचिव